



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 351356

L-22

विक्रय पत्र

1- विक्रित भूमिधरी स्थित ग्राम :- अलमारापुर, माह्य, प्रद.
परगना तहसील जय
जिला मुजफ्फरनगर

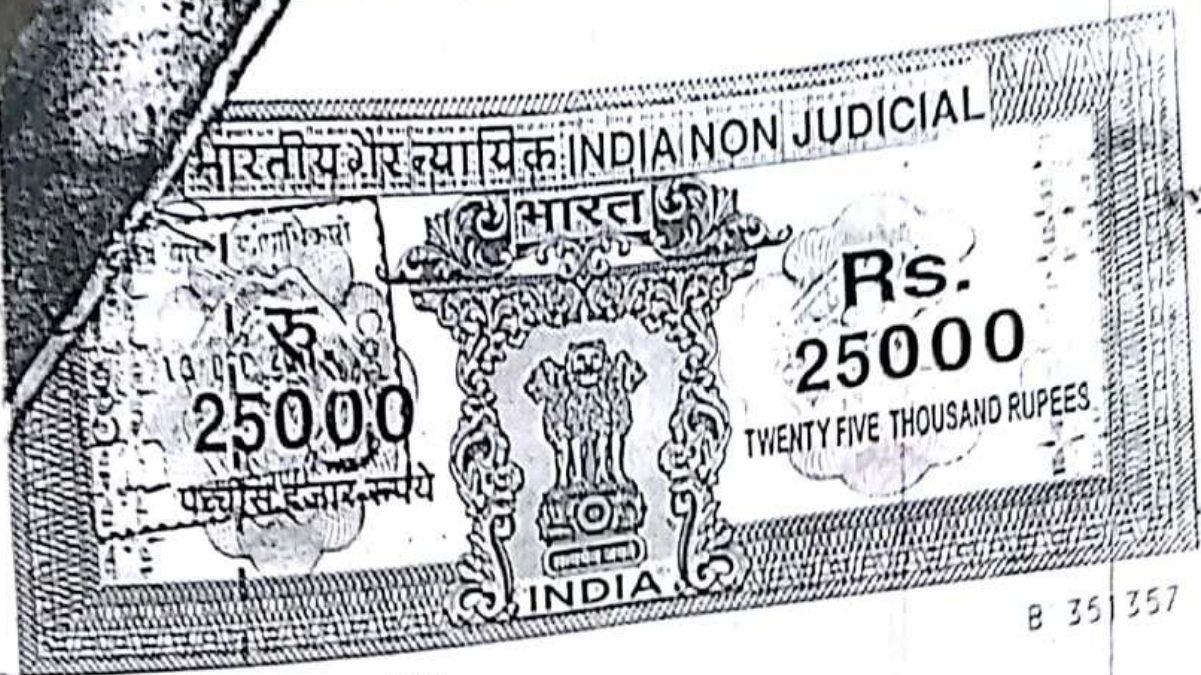
2- सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 0.3571 हे. टेरर

3- निर्धारित दर :- 50,00,000/- रुपये प्रति हेक्टर

4- मापन की इकाई :- हेक्टेयर

मापन 30/7

Signature

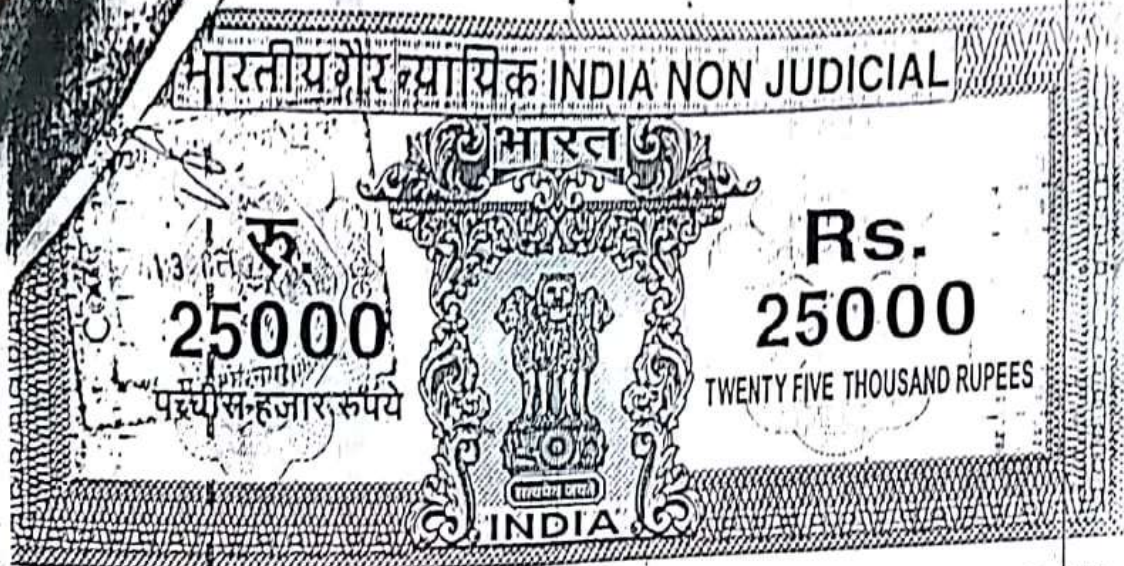


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रतिफल की धनराशि	:- 25,00,000/- रुपये
निर्धारित दर से मालियत	:- 17,85,500/- रुपये
धनराशि स्टाम्प शुल्क	:- 1,75,000/- रुपये
व्यक्त इकरारनामा अदा	:- 50,000/- रुपये
स्टाम्प शुल्क	:- 1,25,100/- रुपये
आज अदा स्टाम्प शुल्क	

मास्टर अफ

विशेष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 351 58

3

9:- सड़क की स्थिति :- कोई नहीं है
10:- पेड़/बोरिंग/कुआ/अन्य
का विवरण :- कोई नहीं है

11:- विक्रेता जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है :-

फारूख अली पुत्र श्री महफूज अली निवासी ग्राम सूजडू परगना

सहसील व जिला मुजफ्फरनगर ।

महफूज अली

दिनांक



B 351359

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12:- क्रेता जिससे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है :-

ए. दू. जैड . डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कम्पनी आर.
ओ. सी. कानपुर, उत्तरप्रदेश, रजिस्टर्ड आफिस के-6 पुल्लवपुरम फेस 2 मेरठ
द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159
कालौनी निकट आर्यनगर, कंकरखेडा मेरठ व देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री अतर सिंह
निवासी ग्राम जडौदा परगना तहसील व. जिला मुजफ्फरनगर
जिन्हे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दि 0-21-4-2010 मे धेनामा निष्पादित
करने के लिये अधिकृत किया हुआ है ।

महेश्वर

12/2/21

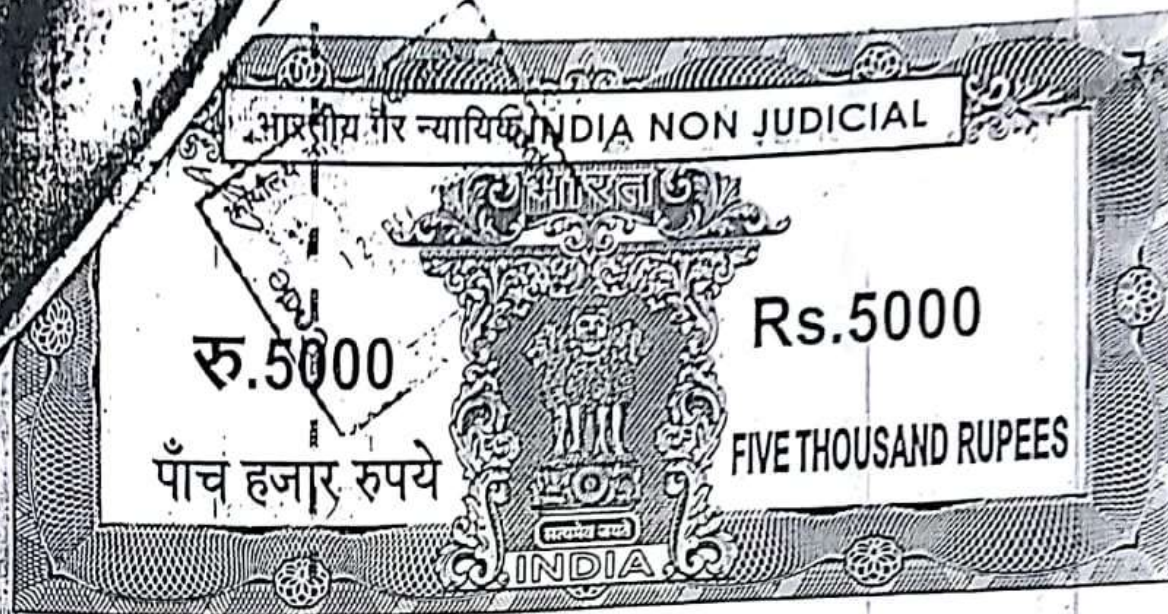


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न लिखित है, का पूर्ण स्वामी है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार आदि से स्वच्छ एवम् मुक्त है। प्रथम पक्ष को इस सम्पत्ति को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः हर दो पक्ष अपनी समस्त इन्द्रियों व शरीर की स्वस्थ दशा में यह विक्रय मुक्त लिखकर घोषित करते हैं कि प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति उक्त लिखित समस्त अधिकारों सहित न रखने बाकी किसी भी अधिकार के बाजार भाव के मुताबिक बिल एवज मुबलिंग 25,00,000/- कि आधे जिसके मुबलिंग 12,50,000/- होते हैं बदस्त द्वितीय पक्ष बेच दी है और बेकतई कर दी है और प्रथम पक्ष ने

महेश्वर

विनीत



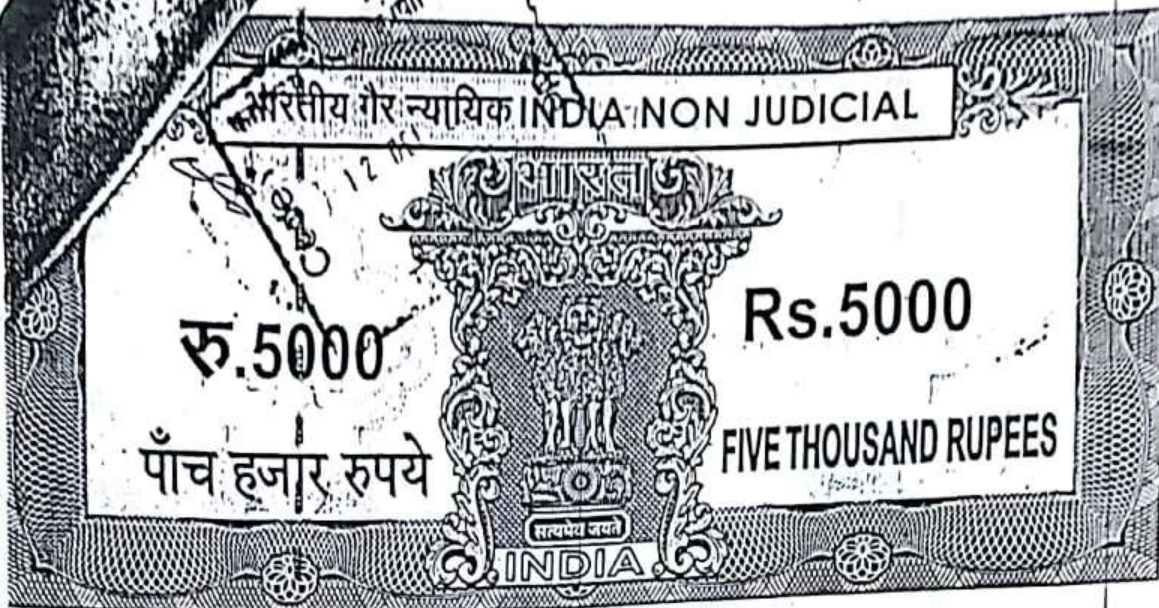
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 098904

द्वितीय पक्ष से समस्त विक्रयमूल्य मे से अंकन 75,000/- रुपये द्वारा चेक नम्बरी 686709 दिनांक 16-9-2010 ई0 इलाहाबाद बैंक नेरट कैंटोनेन्ट मेरठ वक्त इकरारनामा दिनांक 16-9-2010 ई0 को प्राप्त किये हुये है व बाकी अंकन 24,25,000/- रुपये द्वारा चेक्स नम्बरी 920851, 920852 दिनांक 15-12-2011 ई0 एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक जानसठ रोड मुजफ्फरनगर प्राप्त करके कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है, जरे कीमत से कुछ भी शेष नहीं रहा है। विक्रित सम्पत्ति जो कृषि भूमि है का कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के मय जुमरना हक व हक्क के अपने तुल्य सौप दिया है। अब प्रथम पक्ष या

मिशन 374A

नि 714



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 098905

7

वारसान प्रथम पक्ष का इस बेची गई सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में कोई वास्ता व ताल्लुक होगा । अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या प्रथम पक्ष के किसी वारिस की किसी दावेदारी से या किसी कानूनी कमी के कारण या किसी अन्य कारण से यह बेची गई सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जे में निकल जावे या इस पर कब्जा प्रथम पक्ष के तुल्य न मिले तो ऐसी हर दशा में द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लेवे या वह अपना समस्त विक्रयमूल्य मय हर्जा खर्चा व रिवाजी ब्याज सहित प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार

महेश्वर

विन्द

सह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

चाहे वसूल कर लेवे इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का हरप्रकार का उत्तर अमान्य होगा। विक्रित भूमि के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक में एक इकरारनामा दिनांक 16-9-2010 ई० जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर में वही नम्बर 1 की जिल्द 5772 के पेज 22 में क्रमांक 10755 पर दिनांक 16-9-2010 ई० को दर्ज है, लिखा हुआ है। विक्रित सम्पत्ति सम्बन्धित आज से पूर्व की तमाम देनदारियां बजिम्मा प्रथम पक्ष होगी और आज से बाद की तमाम देनदारियां बजिम्मा द्वितीय पक्ष होगी। विक्रेता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं है। विक्रित सम्पत्ति आधार विकास बालक के अन्तर्गत है।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि सनद हो और समय पर काम आवें।

मिशन ऑफ

15/10/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वियरन भूमि स्थित ग्राम अलमासपुर बाहर हद्द, परगना तहसील य जिला
मुजफ्फरनगर :- भूमि खसरा नम्बर 241 मि 0 रकबाई 1.4284 हेक्टेयर का कुल
हक व हिस्सा 1/4 भाग यानि 0.3571 हेक्टेयर ।

महाराज 31/07/11



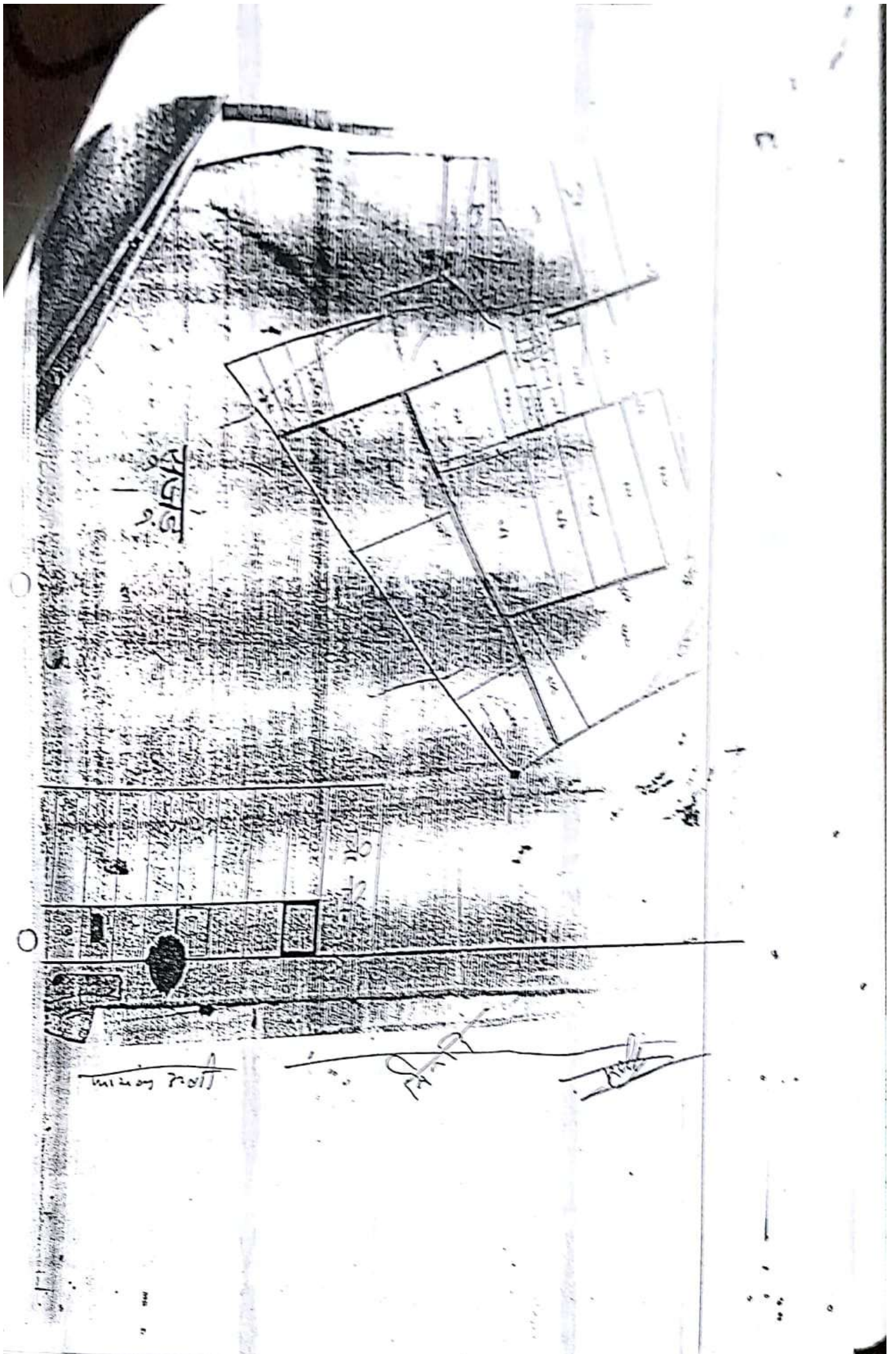
साक्षी
Nafes Ahmad Rana/o
Sh. Farooq Ali R/o
Vill. Soojan, M. Nagaur

साक्षी

Handwritten signatures of the witnesses.

तारीख तहसील :- 13-12-2011 ई 0
डाफ्टकर्ता खैराती लाल अरोरा एडवोकेट तहसील मुजफ्फरनगर ।





"अंगुली का प्रकार"

पक्षी का नाम फाल्गुनी

	अंगुष्ठिका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
दायां					
बायां					

पक्षी का नाम

..... विनायक

दायां					
बायां					

पक्षी का नाम

..... देवे-रक्षा

दायां					
बायां					

पक्षी का नाम

दायां					
बायां					

356

आज दिनांक 13/12/2011 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 6663

पृष्ठ सं. 67 से 88 पर कमांक 14118

रजिस्ट्रीकृत किया गया



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर


अरुण कुमार उ०नि०, (सं० नि०लि०)

13/12/2011